न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–155 / 2021
GCMS No. -2021/352

1. एजाज अहमद पिता इकबाल हुसैन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राजा
2. परवेज अहमद पिता इकबाल हुसैन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
3. रुकसाना पत्नि इकबाल हुसैन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
4. शबनम पुत्री इकबाल हुसैन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. रुबिना पुत्री इकबाल हुसैन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राजा
6. रेहना पुत्री इकबाल हुसैन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र परसराम जी जाति मीणा आयु क्यस्क निवासी कासोद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
2. सीताबाई पत्नी लक्ष्मण जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी कासोद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–188,209 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

::निर्णय::

दिनांकः–13.11.2024

1. पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा कासोद प०ह० निम्बाहेडा–बी तह० निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 153 की आराजी नं0 320 रकबा 0.8800 हैक्टेयर लगानी 11 रुपये 44 पैसा, स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:37:31 IST
Reason: SelfAttested

2. वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पिता व पति मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल हुसैन पिता अल्लाबक्श जी पिंजारा मुसलमान निवासी निम्बाहेडा की खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही है मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल हुसैन का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान वादीगण उनके पुत्र पुत्री व बेवा हैं। मोहम्मद इकबाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उर्फ इकबाल हुसैन के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त रुप से वादीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही हैं।

3. उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही हैं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के पूर्व दिशा के पडोसी हैं, तथा पूर्व मे प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 04/06/2022 को उनके खातेदारी की आराजी की पत्थरगढी करवाई थी जिसमे भु अभिलेख निरिक्षक द्वारा प्रतिवादीगण की आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा किसी हैसियत से नही पाया गया जिसका अंकन किया, तथा पर्चा मौका में भी सही रुप से दर्ज किया गया जिसे प्रतिवादीगण ने भी माना था, तथा प्रतिवादीगण के आवागमन का रास्ता उसकी आराजी के दक्षिण दिशा में पाया गया जिसका अंकन भी मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित हैं।

4. वादीगण अपने पिता व पति से मिली वादग्रस्त पुश्तैनी आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, प्रतिवादीगण का वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त से कोई ताल्लुक सरोकार संबंध नही हैं प्रतिवादीगण वादीगण से द्वेषता की वजह से वादीगण से रंजीश रखते हैं, तथा प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी नं0 320 के पश्चिम दिशा में जबरन अवैध रुप से रास्ता कायम करना चाह रहे है जबकि प्रतिवादीगण का उनकी आराजीयात पर आने जोन का रास्ता पूर्व से कदिम से उनकी आराजी की दक्षिण दिशा की मेड से लगातार चला आ रहा है जिससे प्रतिवादीगण अपनी आराजीयात पर आते जाते चले आ रहे हैं, जिसका विवरण प्रतिवादीगण द्वारा सन् 2022 में कराई गई पत्थरगढ़ी के पर्चा मौके में अंकित हैं, परन्तु फिर भी प्रतिवादीगण किसी सुरत मे मानने को तैयार नही हैं, तथा प्रतिवादीगण वादीगण का नाजायज फायदा उठाने की नियत से वादीगण की स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात में जबरन अनाधिकृत रुप से नाजायज कब्जा कर रास्ता कायम करने पर आमादा हो रहे है और वादीगण की आराजी पर खडे पुराने हरे वृक्षे को काट कर नष्ट करना चाहते हैं, और वादीगण को धमकियां देते है कि मै गुण्डो को बुलवाकर तुम सब को तुम्हारी आराजी से जबरन बेदखल कर नाजायज कब्जा कर लूंगा तथा वादीगण की खातेदारी व कब्जे की आराजीयात में जबरन खाई खोद कर वादीगण की आराजीयात में नुकसान पहुंचाना चाहते है और वादीगण के खातेदारी व कब्जे की आराजीयात को अपनी होना बताकर जबरन नाजायज कब्जा करने पर आमादा है तथा वादीगण के मना करने पर प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने पर आमादा होते हैं तथा वादी को जबरन झुठे मुकदमो में फसा कर जैल में सडवाने की धमकियां देते हैं और नाजायज कब्जा करने की धमकियां देते है और वादीगण एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा प्रतिवादीगण को समझाने बुझाने पर भी प्रतिवादीगण किसी भी सुरत मे मानने को तैयार नही हैं, इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:37:31 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1,2 बावजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक तरफा

कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में पीडब्लू 1 एजाज अहमद, पीडब्लू 2 परवेज अहमद, पीडब्लू 3 रमेश वैष्णव, पीडब्लू 4 मो0 यामिन शेख के शपथ पेश किए नकल जमाबन्दी प्रदर्शः 1 तथा पर्चा मौका पत्थरगढी रिपोर्ट पेश की। वकील वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वादीगण के संलग्न वादी द्वारा वाद पत्र के साथ संलग्न वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा कासोद प०ह० निम्बाहेडा–बी तह० निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 153 की आराजी नं0 320 रकबा 0.8800 हैक्टेयर भूमि एवं शपथ पत्र अनुसार वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी का कब्जा साबित है। वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार हैं जिसे अपने हक हिस्से की भूमि पर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का कानूनी अधिकार है। पत्थरगढ़ी पर्चा मौका अनुसार वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी का कब्जा साबित है जिसका कोई विधिक आधार प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से भी वादी के कथनों को बल मिलता है। वादी का वाद डिक्री योग्य है।

6. अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा कासोद प०ह० निम्बाहेडा–बी तह० निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 153 की आराजी नं0 320 रकबा 0.8800 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि में उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना करावें तथा कोई जबरन रास्ता कायम नहीं करे न करावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:37:31 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–155 / 2021
GCMS No. -2021/352

1. एजाज अहमद पिता इकबाल हुसैन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राजा
2. परवेज अहमद पिता इकबाल हुसैन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
3. रुकसाना पत्नि इकबाल हुसैन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
4. शबनम पुत्री इकबाल हुसैन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. रुबिना पुत्री इकबाल हुसैन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राजा
6. रेहना पुत्री इकबाल हुसैन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र परसराम जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी कासोद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
2. सीताबाई पत्नी लक्ष्मण जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी कासोद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–188,209 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांकः–13.11.2024

प्रकरण आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री अबरार की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा कासोद प०ह० निम्बाहेडा–बी तह० निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 153 की आराजी नं0 320 रकबा 0.8800 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि में उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं करें ना करावें तथा कोई जबरन रास्ता कायम नहीं करे न करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.))

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:37:31 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)